संख्या–396/XVIII-B-1/2020-4(14)/2015

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 02 जून, 2020

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य आपदा मोचन निधि मद से द्वितीय किस्त के रूप में जिलाधिकारियों के निवर्तन पर धनराशि रखे जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य आपदा मोचन निधि मद से निम्न तालिकानुसार कुल रू0 33.00 करोड़ (रू0 तैतीस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर द्वितीय किस्त के रूप में रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0स0	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (रू0 करोड़ में)
1	देहरादून	3.00
2	टिहरी	3.00
3	हरिद्वार	3.00
4	पौड़ी	3.00
5	उधम सिंह नगर	3.00
6	नैनीताल	3.00
7	अल्मोड़ा	3.00
8	पिथौरागढ़	2.00
9	रूद्रप्रयाग	2.00
10	उत्तरकाशी	2.00
11	चमोली	2.00
12	बागेश्वर	2.00
13	चम्पावत्	2.00
	कुल योग	33.00 (रू0 तैतीस करोड़ मात्र)

2– भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु दिशा–निर्देश दिनांक 08.04.2015 तथा संशोधित मानक दिनांक 14 मार्च, 2020 एवं दिनांक 28 मार्च, 2020 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं निर्गत निर्देशों के अनुसार

कोरोना वायरस (Covid-19) के लिए जनपद में स्थापित राहत शिविरों/क्वरंटाईन केन्द्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्युत, पेयजल एवं स्वच्छता, भोजन तथा सेनिट्राइजेशन की व्यवस्था समुचित रूप से नही है की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय।

3— स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2021 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

4— आहरण व व्यय केवल उन कार्यों के लिये किया जायेगा, जो एन. डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के दिशा—निर्देशों मे अनुमन्य हैं।

5— स्वीकृत धनराशि का वितरण तत्परतापूर्वक कराया जायेगा, जिससे प्रभावितों को शीघ्रातिशीघ्र राहत राशि का विवरण सुनिश्चित हो सके।

6— स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

7— प्रभावितों की सम्यक पहचान एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जायेगा। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहाराव की स्थिति पाये जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।

8— स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

9— व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

10— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020—21 के अनुदान संख्या—6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245—प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत—05—राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)—101—आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस.डी.आर.एफ.—02—आपदा राहत निधि से व्यय—42—अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

11— यह आदेश वित्त अनुभाग—1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—292/9(150)-2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31 मार्च, 2020 में निहित निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

संख्या— (1)/XVIII-B-1/2020-4(14)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़, देहरादून।
2— अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3— आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

4— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5— अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7— निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8— निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
9— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
11— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव।